



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1638

दिनांक :- 08.8.2024

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध बी0एड0 महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:- निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2024-25) के लिये शुल्क का पुनर्निर्धारण।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या: 210/सत्तर-7-2024- बी0एड0 (16)/2011 दिनांक 22 जुलाई, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु बी0एड0 पाठ्यक्रम के लिये शुल्क निर्धारण किया गया है। शासन द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु बी0एड0 प्रथम वर्ष हेतु शुल्क रूपये 51,250/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क रूपये 30,000/- निर्धारित किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रभारी (बी0एड0 सैल), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
04. प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।

1
प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

प्रेषक,

कल्लू प्रसाद द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
2. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

0-5 (A/M)
Registrar
Ch Charan Singh University
Meerut

उच्च शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 22 जुलाई, 2024

विषय:- निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2024-25) के लिए शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन०सी०टी०ई० नियमावली, 2002 के प्रस्तर-6(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या- 1561/सोलह-1-2008-5(डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या- 2463/2008-सोलह-ए-5(डब्ल्यू-48) /2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 10.07.2024 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी।

2- समिति की उक्त बैठक, पूर्व निर्गत शासनादेशों एवं राज्य विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आख्या पर सम्यक विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पूर्व की भांति प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु बी०एड० प्रथम वर्ष हेतु शुल्क रू० 51,250/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क रू० 30,000/- निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 6- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।